


77



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क्र० निगरानी - एक / 16

R-1500-II/16

श्री श्री राजनी वशिष्ठ राजा
द्वारा आज दि. 11/5/16 को
प्रस्तुत

प्रमोद कुमार तनय घनश्याम घोष
निवासी रामनगर तहसील जतारा हाल
मोहनगढ जिला टीकमगढ म०प्र०

कलेक्टर/ऑफिस कीर्छ
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

----- आवेदक

(Signature)

विरुद्ध

बलराम तनय गजाधर यादव
निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील जातारा
हाल मोहनगढ जिला टीकमगढ म०प्र०

----- आनावेद

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 11.04.2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ प्र०क्र० 266/अपील/2014-15 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, प्रकरण का सारंश इस प्रकार है कि आवेदक की कृषि भूमि ग्राम बिलगांय मौजा महुआ वाग तहसील जतारा जिला टीकमगढ में भूमि खसरा नम्बर 83/1/2 रकवा 2.428 है० स्थित है । उक्त भूमि का तरमीम लगभग 30-40 वर्षों पहले हुआ था और जब से ही आवेदक अपनी भूमि में फसल एवं काबिज कास्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1500-दो/2016

जिला टीकमगढ़

प्रमोद विरूद्ध बलराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 266/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 11-04-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-05-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p> <p>5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित</p>	


hjs

28.12.18

किया जाता है। आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।


(आर.के. जैन)
सदस्य
28.2.18